राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(8) राज/वाद/24 जयपुर दिनांक 4/10/2024

::आदेश::

श्री कपिल प्रकाश माथुर, अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर से प्राप्त उनके पत्र क्रमांक KPM/AAG/No.68 दिनांक 26.09.2024 के क्रम में श्री आशुतोष उदावत, अधिवक्ता (पंजीयन क्रमांक–आर/1869/2014) एवं सुश्री सारा परवीन, अधिवक्ता (पंजीयन क्रमांक–आर/855/2018) को दिनांक 25.09.24 से उनके जूनियर अधिवक्ता के रूप में कार्य करने की सहमति प्रदान की जाती है।

सामान्य शर्तें, अनुबन्ध एवं पारिश्रमिक (फीस) निम्न प्रकार है:–

1. जूनियर अधिवक्ता को अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर को प्रकरण में देय उपस्थिति फीस की 10 प्रतिशत राशि देय होगी है।
2. जूनियर अधिवक्ता को देय 10 प्रतिशत राशि अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर की अनुशंषा पर संयुक्त रूप से अनुपातानुसार अथवा अनुशंषानुसार जूनियर विशेष को देय होगी।
3. वे किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों एवं निगमों का ऐसे किसी भी प्रकरण में ब्रीफ स्वीकार नहीं करेंगे, जिनसे राजकीय हित विपरीत रूप से प्रभावित होते हो।
4. उक्त शर्तों के अलावा विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा समय–समय पर जारी सेवा शर्तों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,

ह0-
(ब्रजेन्द्र कुमार जैन)
प्रमुख शासन सचिव,विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–
1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधिमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
3. निजी सचिव, विद्वान महाधिवक्ता, राज0।
4. संबंधित अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर।
5. सम्बन्धित अधिवक्तागण।
6. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
7. सहायक लेखाधिकारी–I, वादकरण।
8. विधि विभाग के समस्त विधि प्रकोष्ठ।
9. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

04.10.2024
(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि